जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 74/2016 अनवानी श्री हरि सिंह, संवाददाता, निवासी वार्ड न0 7, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.04.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरि सिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 08.03.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

1–जिले प्रत्येक ग्राम पंचायत को विभिन्न योजनाओं के तहत अक्टूबर 2013 से जनवरी 2016 तक आवंटित गेंहू की मात्रा बारे में प्रतिमाह, प्रति ग्राम पंचायत। प्रति योजना व प्रति डीलर जानकारी देने का कष्ट करें।
2–सम्भव हो तो निम्न सारणी में उपलब्ध करवाने का कष्ट करे।

नाम ग्राम पंचायत	माह व वर्ष	वितरक का नाम	खादय सुरक्षा योजना मे आवंटित गेहू की मात्रा	बीपीएल योजना के तहत आवंटित गेहू की मात्रा	स्टेट बीपीएल योजना के तहत आवंटित गेंहू की मात्रा	आस्था योजना के तहत आवंटित गेंहू की मात्रा	अन्तोदय योजना के तहत आवंटित गेहू की मात्रा	अन्पूर्णा योजना के तहत आवंटित गेंहू की मात्रा	अन्य कोई योजना होतो उसके ततहत आवंटित गेंहू की मात्रा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है उसके द्वारा चाही गई सूचना जिला रसद अधिकारी द्वारा आरटीआई की धारा 7(9) का हवाला देकर सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जबकि चाही गई सूचना उनके कार्यालय से संबंधित है जो उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 3326 दिनांक 19.05.2016 प्रस्तुत किया है कि आपिीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में आरटीआई की धारा 2–च व 7(9) के तहत खारिज कर उनके कार्यालय के पत्र सं0 1626 दिनांक 31.03.16 के द्वारा समय अवधि में उसे सूचित कर दिया था।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1626 दिनांक 31.03.16 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

> उक्त सूचना के संबध में आपको सुचित किया जाता है कि जिस प्रारूप में आप द्वारा सूचना चाही गई है उस प्रारूप में सूचना इस कार्यालय में संधारित नही है। अतः उक्त सूचना से सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में काई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ईमेल, मत, सलाह प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुॅक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकडो सबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।
>
> इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यो के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9 में) ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस सम्बंध में आपको कोई उज्र हो तो 30 दिवस में प्रथम अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के न्यायालय में कर सकते है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और अपने द्वारा तैयार किये गये प्रपत्र में सूचना चाही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 31.03.2016 सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख में से यदि अपीलार्थी निरीक्षण कर किसी निश्चित अभिलेख की सूचना लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर